विषय :—राज्य कर्मचारियों का विदेशों में ट्रेनिंग, फैलोशिप या किसी अन्य कार्यों के लिये जाना।

क्या वित्तायुक्त हरियाणा सरकार तथा अन्य प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय सरकार के अशा: क्रमांक 4476–राज 1(3)–71, दिनांक 7 सितम्बर, 1971 तथा अशा: क्रमांक 6144–राज 1(3)–7 दिनांक 13–9–71 की ओर ध्यान देनें का कष्ट करेंगें ?

2. उपरोक्त संदर्भों द्वारा यह हिदायतें जारी की गई थीं कि किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का विदेश ट्रेनिंग कोर्स फैलोशिप या अध्ययनार्थ छुट्टी पर या अन्य सरकारी कार्य के लिये भेजने से पहले, चाहे इस प्रकार की या सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने खर्चे पर ही की जानी हो, आवश्यक केस पर मुख्य मंत्री महोदय के आदेश अवश्य प्राप्त किये जायें। यह देखा गया है कि उपरोक्त आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है और कई बार विभाग अध्यक्ष स्वयं ही बिना मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति के सीधे ही आवश्यक सिफारिशें भारत सरकार को भेज देते हैं। प्रकार से उपरोक्त हिदायतों की उल्लघंना करना एक गम्भीर बात है।

3. अत: उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों को सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के ध्यान में पुन: लाया ज और उन्हें निर्देश दिये जायें कि वह इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन करें और भारत सरकार की सिफारिशें आदि क से पहले सम्बन्धित केस पर मुख्य मंत्री महोदय के आदेश अवश्य ही प्राप्त किये जायें।

हस्ता:–
अवर सचिव प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरका

सेवा में

1—वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार।
2—सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 3776–राज(3)–75, दिनांक चण्डीगढ़ 19 मई, 1975
पृ0 क्रमांक 3776–राज(3)–75/ दिनांक चण्डीगढ़ 19, मई 1975

एक-एक प्रति सभी विभागीय अध्यक्षों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता:–
अवर सचिव प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरक